

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2431/2026

Shaukat Ali Makrani S/o Safi Mohammad Makrani, Aged About 50 Years, R/o- Delwada Lokiya, P.s. Motagaon, dist-Banswara, Rajasthan. At Present Behind Open Jail Dungaripada, P.s. Kotwali, Dist-Banswara, Rajasthan. (Presently Lodged In Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Raghuveer Singh Bhati
For Respondent(s)	: Mr. Narendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

10/03/2026

01. प्राथी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 303/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 103(1) व 109(1) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्राथी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में मुस्तगीसा शकीना बी बतौर पी.डब्ल्यू.1, मुस्तगीसा की माता कुरेशा बी बतौर पी.डब्ल्यू.3 व मुस्तगीसा की बहन जैनब बतौर पी.डब्ल्यू.7 तीनों चश्मदीद साक्षी हैं जो पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनके द्वारा प्राथी-अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं किए हैं। अन्य कोई चश्मदीद साक्षी इस मामले में नहीं होना बताते हुए विचारण में समय लगने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में घटना के चश्मदीद साक्षी पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.3 व पी.डब्ल्यू.7 विचारण के दौरान पक्षद्रोही घोषित हो चुके हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **शौकत अली मकरानी पुत्र शफी मोहम्मद मकरानी** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J